संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2555507
Website:- www.mpurban.gov.in

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 15/06/2022

क्रमांक/स्था./एक/26/902/2021/10899 पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, इन्दौर संभाग इन्दौर, म.प्र. के पत्र क्रमांक–3660/विपुस्था/2021 इन्दौर, दिनांक 13.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि, (1) श्री विजय सक्सेना, प्रभारी अधीक्षक जनकार्य विभाग, नगर पालिक निगम, इन्दौर जिला इन्दौर (2) श्रीमती गिरिजा सक्सेना पति श्री विजय सक्सेना, निवासं–1007, द्वारकापुरी इंदौर (गैर लोक सेवक) के विरूद्ध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा अपराध क्रमांक–147/2021 धारा–13(1)बी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) एवं सहपठित धारा 120बी भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11–19/2011/1–10 दिनांक 23.02.2012 की कंडिका–1 अनुसार ट्रेप अथवा छापे के प्रकरणों में आरोपी अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना होने अन्यथा संज्ञान में आने के 03 कार्य दिवस की समयावधि के भीतर ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों को उस पद पर से जिस पर रहते हुये ट्रेप अथवा छापे की कार्यवाही हुई है, से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाये तथा परिपत्र क्रमांक एफ 6–1/2021/एक/9 दिनांक 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका–9.4 अनुसार लोकायुक्त संगठन/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से स्थानांतरण किया जा सकता है, के निर्देश है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11–19/2011/1–10 दिनांक 23.02.2012 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 6–1/2021/एक/9 दिनांक 24 जून 2021 तथा पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, इन्दौर संभाग इन्दौर, म.प्र. के पत्र क्रमांक–3660/विपुस्था/2021 इन्दौर, दिनांक 13.09.2021 के परिप्रेक्ष्य में श्री विजय सक्सेना, सहायक ग्रेड–3, नगर पालिक निगम, इन्दौर जिला इन्दौर को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए नगर परिषद, हनुमना जिला रीवा में पदस्थ किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
वि.क.अ.–सह आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.

पृ0क्र0:–स्था./एक/26/902/2021/10900 भोपाल दिनांक 15/06/2022

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल म.प्र.।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग म.प्र.।
4. कलेक्टर, जिला इन्दौर/रीवा, म.प्र.।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर, म.प्र.।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्दौर/रीवा, संभाग म.प्र.।
7. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, हनुमना जिला रीवा, म.प्र.।
8. श्री विजय सक्सेना, सहायक ग्रेड–3, नगर पालिक निगम, इंदौर जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ।
9. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास वेबसाईट में प्रकाशन हेतु पालनार्थ।

वि.क.अ.–सह आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.